हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मौके पर उपस्थित हुये। पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी नं. 3 सिरेमल लाल का नाम नं. 3 पर दर्ज किया है जो अन्दर शिकायत होने से प्रार्थी नं. 3 का नाम नं. 3 पर दर्ज किया गया है। मौके पर उपस्थित अप्रार्थियों से हुआ वार्तालाप पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में 150 वर्ष पूर्व की सम्वत 1925 के रिकार्ड के आधार पर बाद/तरमीम किया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थियों एवं अप्रार्थियों एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं तथा वादग्रस्त भूमि प्रार्थियों की पैतृक भूमि है या नहीं। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय हानि का निर्णय प्रार्थियों के पक्ष में जाता है। अतः प्रार्थियों का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। रजिस्टर किया जाता है एक माह की नोटिस के तथा बाद तरमीम पश्चात केस सुनवाई के लिए बाद के समक्ष। जिला राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट महेश्वरा तुर्द के मजमून आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दौसा